18.5.18

पत्रावली राजीनामा लोक अदालत बेंच बैनावाली के पेश हुई। बहस राजीनामा पर उभय पक्षों की दलीलें सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस पक्षकारों ने वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री करने का कथन किया है। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद-पत्र के जरिये वादग्रस्त आराजी चक 10 MWM तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं. 37/34 मु.नं. 120/366 (20) किला नम्बर 14/0.244, 15, 16 प्रत्येक 0.253 17/0.244, 24/2, 25/2 प्रत्येक 0.228 हे. कुल 1.450 हे. कुल 1.450 हे. कृषि भूमि की बंटवारा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजी चक 10 MWM खाता सं 17/19 के कुल 17.585 हे. इसी चक के खाता सं 20/18 के बाबत कुल आराजी 4.353 हे. पैतृक भूमि होने के कारण बंटवारा व तकसीम का वाद-पत्र पेश किया है। प्रथमतः कृषि भूमि पैतृक है इसकी पुष्टि संलग्न रिकार्ड जमाबंदी चक 10 MWM खाता सं 17/19 संवत 2049, नामांतरण सं 50 चक 10 MWM से हो रही है। वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया हुआ है जो वाद तकसीम शामिल पत्रावली है। वाद-पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। जवाब दावा प्रति. 7 ने भी राजीनामा मुताबिक स्वीकार का कथन किया है इस प्रकार वाद-पत्र का कोई

। विरोध हमारे समक्ष नहीं आने से वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के राजीनामा के बतौर बाइन्तखाब आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग-2 कायम कर रकबा-राज अलग कायम की जावे। राजीनामा निर्णय का जुज होगा। पर्चा डिक्री मुताबिक राजीनामा जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण-पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः—सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) गैनावाली
पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
मनीराम बनाम लाधूराम आदि
दावा बाबत 88 व 53 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः—36/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री राजेन्द्र कुमार भुवाल एडवोकेट अधिवक्ता—वादी व श्री साहबराम सुथार एडवोकेट प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादीव प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 11.4.2018 को डिक्री किया जाता है राजीनाम निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को वर्णित वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादीगण 1 ता 5 का खाता अलग—2 किया जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

.....x.....लीज.....x.....मुवलिग.....x.....वातत.....
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....x.....से तारीख वसुलयाबी.....x.....
बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 18 —05—2018 से जारी की गई।

विवरण पक्षकार

1 मनीराम पुत्र श्री लाधूराम आयु 38 वर्ष जाति जाट निवासी चक 11 एम.डब्ल्यु.एम. (जखडावाली) तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ।(राज0)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

—वादी—

बनाम

1—लाधूराम पुत्र स्व0 श्री बीरबलराम जाति जाट निवासील चक 11 एम.डब्ल्यू.एम. जाखड़ावाली तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ।
2—रामस्वरूप पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी चक 11 एम.डब्ल्यु.एम.(जखडावाली) तहसील पीलीवगा जिला हनुमानगढ।(राज0)
3—देवचन्द पुत्र श्री वीरबलराम जाति जाट निवासी चक 11 एम.डब्ल्यु.एम.(जखडावाली) तहसील पीलीवगा जिला हनुमानगढ।(राज0)
4—कृष्णचन्द पुत्र देवचन्द जाति जाट निवासी चक 11 एम.डब्ल्यु.एम.(जखडावाली) तहसील पीलीवगा जिला हनुमानगढ।(राज0)
5— रामचन्द्र पुत्र श्री देवचन्द जाति जाट निवासी चक 11 एम.डब्ल्यु.एम.(जखडावाली) तहसील पीलीवगा जिला हनुमानगढ (राज0)
6—आरियन्टल वैक ऑफ कॉमर्स शाखा चौहिलावाली जरिये शाखा प्रवन्धक। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
7—तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

——प्रतिवादीगण——

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner